न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/356

रामकरण पुत्र रामलाल, जाति जाट निवासी महतगांव तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री राजकमुार गठाला, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखन बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 11.10.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक आर–2(53)/08/3434 दिनांक 15.03.2008 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम महतगांव तहसील दूदू जिला जयपुर के नया खसरा नम्बर 205/1073 रकबा 1.97 हैक्टयर, पुराना खसरा नम्बर 181/2 रकबा 1.97 हैक्टयर किस्म सिवायचक लगानी स्थिति है जिस पर अपीलान्ट पिछले 40 वर्षो से काबिज होकर भूमि का उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है और अपने मवेशियों के लिये उक्त भूमि में से 2 बीघा भूमि चारा घामघर बाड़ा बना रखा है जिसकी नाप उत्तर–दक्षिण 350 फीट तथा पूर्व–पश्चिम 200 फीट है उक्त भूमि रकबा में पश्चिम की ओर रोड़ लगती हुई स्थित है, उक्त भूमि के पूर्व की ओर की भूमि खाली स्थिति है, उक्त भूमि खसरा परिवर्तनशील में जमाबन्दी सन् 1993–94 से लगातार अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत दांतरी पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर द्वारा ग्राम सभा प्रस्ताव दिनांक 29.11.2007 में जो प्रस्ताव खसरा नम्बर 205/1073 रकबा 1.97 हैक्टयर भूमि में से 1 हैक्टयर के बाबत सरकारी भवनों हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया जिसमें प्रस्तावित भूमि बाबत किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट दिशा के सम्बन्ध में कोई दिशा/चारों दिशाओं में क्या है, अंकित नही की गई, न ही प्रस्तावित भूमि की नाप जोख अंकित की गई, ना ही मौका के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट में अंकन नही किया गया तथा तहसीलदार मौजमाबद द्वारा भी उक्त भूमि बाबत बिना मौका रिपोर्ट देखे ही मात्र ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित रिपोर्ट के अनुसार ही अपनी रिपोर्ट अपने कार्यालय में तैयार कर उपखण्ड अधिकारी दूदू को दिनांक 21.02.2008 को प्रेषित कर दी थी तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी बिना मौका निरीक्षण किये एवं बिना किसी प्रकार की जांच किये ही केवल मात्र तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर उक्त रिपोर्ट को जिला

P.T.O.

कलक्टर के समक्ष दिनांक 29.02.2008 को प्रेषित कर दी और जिला कलक्टर जयपुर द्वारा वास्तविक तथ्यों एवं कानून के विपरीत अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2008 पारित कर दिया जो खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विधि की सुस्थापित व्यवस्था है कि किसी भी आदेश से प्रभावित होने वाले पक्षकारों/व्यक्तियों को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित नही किया जा सकता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जो न्याय के प्राकृतिक एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, दिनांक 24.09.2021 को तहसीलदार दूदू के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा आकर अपीलान्ट को मौके से कब्जा खाली करने का कहने पर जिला कलक्टर जयपुर के उक्त आदेश का हवाला देने पर अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 27.10.2021 को उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर नकल दिनांक 29.10.2021 को प्राप्त हुई एवं अपीलान्ट बुजुर्ग व्यक्ति है जो अक्सर बीमार रहता है इस बीच अपीलान्ट बीमार हो जाने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर पाया, अपीलान्ट के स्वस्थ होने पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है तथा उक्त बिलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है जिसे न्यायहित में स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक आर–2(53)/08/3434 दिनांक 15.03.2008 को निरस्त किया जाकर खसरा नम्बर 1147/205 रकबा 0.97 हैक्टयर में से अपीलान्ट के कब्जे की 2 बीघा भूमि जो रोड़ से लगती हुई है का आवंटन अपीलान्ट के नाम से किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि उक्त भूमि सिवायचक लगानी भूमि है जिसके सम्बन्ध में भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने पर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2008 पारित किया गया है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनन अधिकार नही है। यदि अपीलार्थी को उक्त सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है तो वह अवैध है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये

P.T.O.

विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के संलग्न खसरा गिरदावरी सम्वत् 2062 से 2065 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक लगानी अंकित है तथा उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2008 है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है तथा उक्त भूमि राजकीय भूमि होने से प्रकरण में अपीलान्ट की किसी प्रकार की लोकस स्टेण्डाई नही होने से अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक आर–2(53)/08/3434 दिनांक 15.03.2008 को यथावत रखा जाता है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।